कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

क्रमांकः— 386 दिनांक— 13/12/2023

यूनिक बिड नम्बरः— दिनांकः—

खुली निविदा सूचना

पुलिस आयुक्तालय,जयपुर एव अधीनस्थ थानों/कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर एंव प्रिन्टर की वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (ए.एम.सी.) का कार्य किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	नाम आईटम	कम्प्युटर/प्रिन्टर की संख्या	अनुमानित राशि	निविदा फार्म	बिड सिक्यूरिटी राशि
1	कम्प्यूटर/प्रिन्टर (सभी मैक)/हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध(एएमसी)	कम्प्युटर की संख्या 452 (लगभग) एंव प्रिन्टरों की संख्या 304	8,00,000/—रू	500/— रू.	16,000/— रू.

अतः इच्छुक निविदादाताओं से मोहर बन्द(तकनीकी एंव वित्तीय बिड) निविदायें दिनांक 13.12.2023 से दिनांक 26.12.2023 तक दोपहर 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाकर दिनांक 26.12.2023 को सायं 4.00 बजे उपस्थित बिडदाताओ के समक्ष खोली जावेगी। विस्तृत जानकारी राजकीय वेबसाईट http://sppp.rajasthan.nic.in अथवा विभागीय वेबसाईट jaipurpolice.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

13-12-23

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय,
जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. जनसम्पर्क निदेशक राज0 जयपुर को 8 प्रतियों में भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन राज्य स्तरीय, एवं स्थानीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित करावें ।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पुलिस आयुक्तालय जयपुर।
4. जनसम्पर्क अधिकारी पुलिस आयुक्तालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना निविदा तिथि से तत्काल प्रकाशित करावें।
5. स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा को राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं राज. पुलिस वेबसाईट पर अपलोड कर प्रकाशित करावें।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस लाईन/पु0नि0कक्ष, जयपुर।
8. कैशियर कार्यालय हाजा।

13-12-23

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय,
जयपुर

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

(निविदा प्रपत्र–तकनीकी बिड)

परिशिष्ट ''अ''

घोषणा

निविदा सूचना क्रमांकः–   दिनांकः–

(I) .... के लिए निविदा

(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखें, जिसके लिए निविदा दी गई है)

(II)निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्मः–...

का नाम व डाक का पूर्ण पताः–...

दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल साहितः–..

....

(III)निविदा जिसे प्रस्तुत करनी हैः– पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

(IV)सन्दर्भः– निविदा सूचना संख्याः–............................ दिनांक ....जो...

(समाचार पत्र का नाम) में दिनांक.............................. को प्रकाशित हुई है।

(V)निविदा शुल्कः– राशि रूपये....................... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..

दिनांक ....द्वारा जमा करा दी गई है।

(VI) बिड प्रतिभूति :–राशि रूपये ....डीडी नं0..................दिनांक.............................जमा करा दी है।

(VII) हम निविदा सूचना संख्या........................दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। परिशिष्ट ''स'' के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को स्वीकार किये जाने के प्रमाण–स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुद्धा संलग्न है।

(VIII) हम सहमत है कि विभाग द्वाराजारी कार्यादेश में अंकित अवधि में कार्य कर दिया जावेगा।

(IX) हम सम्पुष्टि करते है कि ''वित्तीय बिड'' में अंकित की गई दरें ''तकनीकी बिड'' खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।

(X) हमारा जीएसटी पंजियन संख्या.................................... है। (छायाप्रति संलग्न है।)

(XI) हम सम्पुष्टि करते है कि वित्तीय बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।

(XII)हम सम्पुष्टि करते है कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/ Validity

पुलिस उपायुक्त (मु.) * जयपुर *

सत्यमेव जयते

13-12-23

1-	Whether tender fee document is submitted with open-tender. Provide details Banker Cheque/DD no......... dt.................		
2-	Whether EMD document submitted with open-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no......... dt................. amount............................		
3-	Whether agreed with all tender conditions		
4-	Whether annexure- D have been downloaded, signed and submitted with open-tender		
5-	Whether sales G.S.T. registration certificate is submitted with open-tender		
6-	Whether Pan card certificate is submitted with open-tender		
7-	Whether last three year turn over has been submitted with open-tender		
8-	If bidder has an authorised representative based in jaipur, name address and contact number should be submitted with open-tender		
9-	Whether One year work experience in govt/semi govt office has been submitted with open-tender		

(XIII) हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा खुली–निविदा में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

नोटः–

1. क्रम संख्या (XII) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes or 'No' उसके जारी होने की तिथि/(Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उतरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरने की प्रकियाः–

(ए) परिशिष्ट ''अ'' तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट ''अ'' ''स'' एवं ''द'' तथा अनुलग्नक अ,ब,स में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर हस्ताक्षर उपरान्त खुली–निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।

(बी) परिशिष्ट ''ब'' वित्तीय बिड है उसे खुली–निविदा में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी बिड में सफल बिडदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

(सी) बोली दाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमें बोली के तहत मांगे गये डी.डी./बैकर्स चैक, बोली फार्म व हस्ताक्षर युक्त बिड प्रपत्र तथा तकनीकी बिड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलबन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ठ में भरकर इस लिफाफे को सील बन्द करना होगा तथा इन दोनों बनद लिफाफो को एक तीसरे लिफाफे में रखकर इसे सीलबन्द कर उस पर सम्बन्धित निविदा कार्य का नाम तथा बोली दाता फर्म का नाम पता व दूरभाष/मोबाइल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मु.) जयपुर

13-12-23

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ठ "ब"

निविदा प्रपत्र वित्तीय बिड

1. कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अधीन कार्यालयों/थानों में स्थित कम्प्यूटरो के वार्षिक अनुरक्षण कार्य हेतु निविदा।
2. निविदादाता का नाम..
3. पत्राचार का पता..

   ....

4. निविदा प्राप्त कर्ता पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर।
5. निविदा शुल्क राशि 500/– नगद रसीद/पोस्टल ऑर्डर संख्या.......................................

   दिनांक............................. द्वारा जमा करवाई जा चुकी है।

6. पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना ....दिनांक .... एवं निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्त जो निविदा के साथ संलग्न हैं उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है)
7. निम्नलिखित कम्प्यूटर के वार्षिक रखरखाव (AMC) के लिए दरें निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती है।

कार्य का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दर (सभी करों सहित प्रति कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर) अंको में	दर (सभी करों सहित प्रति कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर) शब्दो में
1	कम्प्यूटर की वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (AMC) का कार्य (प्रति नग)		
2	प्रिन्टर की वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (AMC) का कार्य (प्रति नग)		

8. फर्म द्वारा इस कार्यालय आदेश में दी गई अवधि के भीतर कार्य किया जावेगा।

पुलिस उपायुक्त (मु.) जयपुर

13-12-23

निविदादाता के
हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ट ''स''

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

1. यह बिड राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा जीएसटी एवं आयकर सहित समस्त कर प्रावधानों एवं नियमों के अध्यधीन है। अतः इच्छुक बिड दाताओं को इनकी पालना करना आवश्यक होगा।
2. कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर के अधीन कार्यालयों/थानों में स्थित कम्प्यूटरों के रख–रखाव कार्य हेतु निविदा।
3. निविदा प्रपत्र का शुल्क 500/– रूपये है। निविदा, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जयपुर को प्रस्तुत करनी है। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
4. बिड प्रतिभूति राशि 16,000/– रूपये है। बिड प्रतिभूति के बैकर्स चैक/बैंक ड्रॉफ्ट, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर के नाम जारी किये हुए हो, जो निविदा के साथ संलग्न करना होगा। बिड प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. टेण्डर निर्धारित प्रपत्र में जो कि विभाग से जारी किया गया हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. निविदा की दरों में किसी प्रकार की कटिंग एवं ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग एवं ओवर राईटिंग वाली निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
7. टेण्डर के सभी प्रपत्र एवं अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होगें।
8. बिड प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को नकद या पोस्टल आर्डर जमा करवाकर दिनांक 26.12.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट http://sppp.rajasthan.nic.in अथवा jaipurpolice.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये बिड प्रपत्र का निर्धारित शुल्क राशि रूपये 500/– निविदा दाता द्वारा पृथक से पोस्टल आर्डर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
9. निविदा दिनांक 26.12.2023 को समय सायं 3.00 बजे तक पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में रखे टेण्डर बॉक्स में डालना होगा। निर्धारित समय पश्चात निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. तकनीकी बिड दिनांक 26.12.2023 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष सायं 4.00 बजे खोली जावेगीं। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
11. निविदा, विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दी जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन के साथ दी गई निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने के पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगें।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मु.) * जयपुर * सत्यमेव जयते

14-12-23

12. निविदा के साथ निविदादाता को नियमानुसार निर्धारित राशि बिड प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी। बिड प्रतिभूति का डिमान्ड ड्राप्ट जो पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर के नाम देय हो, संलग्न करना होगा तभी निविदा स्वीकार की जावेगी।
13. (1) बिड प्रतिभूति राशि असफल निविदादाता को निविदा के स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
    (2) निविदा स्वीकृत होने पर बिड प्रतिभूति राशि सफल निविदादाता द्वारा, 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर नियमानुसार लौटाई जा सकेगी अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।
14. निम्न परिस्थितियों में बिड प्रतिभूति को जब्त कर लिया जावेगा—
    (1) जब निविदादाता टेण्डर खुलने के पश्चात किन्तु स्वीकृति से पहले टेण्डर से पीछे हटता है अथवा टेण्डर में कोई संशोधन करता है।
    (2) जब निविदादाता द्वारा निर्धारित समय में अनुबन्ध सम्पादित नहीं किया जाता है।
    (3) जब निविदादाता द्वारा कार्यदेश देने के पश्चात् निर्धारित समय में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई जाती है।
15. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
16. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में विभाग द्वारा दिये गये समय में करार निष्पादित करना होगा।
17. स्वीकृत निविदा के निविदादाता को कुल कार्य की राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में बिड प्रतिभूति राशि समायोजन करते हुये जमा करवानी होगी। प्रतिभूति बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। (जो पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर) के नाम रहन की हुई हो।
18. निविदादाता निविदा स्वीकृत होने पर कार्य के सम्पूर्ण भाग/हिस्से को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेंगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो अनुबन्ध बिना किसी नोटिस के समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
19. स्वीकृत निविदादाता उनके कर्मचारियों को होने वाली हानियों, दुर्घटनाओं, दिये जाने वाले वेतन भत्तों, क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. राज्य सरकार बिड प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगी। प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में संविदा अवधि के लिए विभाग के नाम एन्डोर्समेन्ट होगा, स्वीकार की जा सकेगी।
21. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होगें तथा उक्त कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
22. न्यूनतम दरों वाली निविदा को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई भी निविदादाता इस हेतु किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा।
23. बिडदाता गत् तीन वित्तीय वर्षो में से किसी एक वर्ष में किसी एक सरकारी विभागों अथवा सरकारी ईकाइयों/निगम/संस्था/बैंकों में कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित उपकरणों के सफलतापूर्वक वार्षिक रख–रखाव का न्यूनतम कार्य राशि 04.00 लाख रूपये का होना चाहिये, एवं संतोषजनक सेवा का स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति तकनीकी बिड (लिफाफा–अ) के साथ संलग्न किये जावे।

3-12-23

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मु.) * जयपुर *
सत्यमेव जयते

24. बोलीदाता फर्म का गत तीन वर्ष (2020–21, 2021–22 व 2022–23) कर टर्न–ओवर न्यूनतम 07.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। जिसके लिये सीए द्वारा प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

25. ए.एम.सी. कम्प्यूटरों, प्रिन्टर (सभी मैक)(संलग्न सूची अनुसार) में प्रयुक्त स्पयेर पार्टस सहित होगी। Consumables Items जैसे रिबन एवं प्रिन्टर के प्लास्टिक पार्टस कार्टरिज, टोनर, कार्टरिज ए.एम.सी. में सम्मिलित नहीं होंगे। परन्तु Maintenance किट (प्रेशर रोलर, टेफलोन शीट सहित इत्यादि) शामिल होगी।(रिपेयरिंग का पूर्ण कार्य सम्मलित होगा)

26. कम्प्यूटर के रख–रखाव का कार्य थानों / कार्यालयों में जाकर सुविधानुसार किया जावेगा।

27. रख–रखाव कार्य समय पर नहीं करने की स्थिति में कार्य बाजार से अन्य फर्म से करवाकर भुगतान के अन्तर की राशि फर्म से वसूल की जावेगी।

28. AMC का कार्य विभाग द्वारा आदेश किये जाने पर स्वीकृत दरों पर बिडदाता को कार्य कार्यालयों / थानों में जाकर करना होगा। AMC का कार्य विलम्ब से करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 58 के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान की वसूल की जावेगी।

29. फर्म के स्टॉफ का तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए जिसकी संख्या न्यूनतम 4 होनी चाहिए इनमे से एक की योग्यता ITI/Diploma/Degree होना चाहिए।

30. कम्प्यूटर के वार्षिक रख–रखाव के दौरान यदि किसी स्पेयर पार्ट्स को बदलने की आवश्यकता होती है तो, इस कार्यालय की लिखित अनुमति के बिना नहीं बदला जावेगा।

31. यदि किसी स्पेयर पार्ट्स को बदलना आवश्यक हो तो पार्ट्स के निर्माता कम्पनी के Genuine स्पेयर पार्ट्स ही लगाने होगे।

32. कम्प्यूटर के खराब होने की रिपार्ट कराने से आगामी 4 घण्टे मे ठीक कर दिया जाना चाहिए। यदि 4 घण्टे पश्चात भी सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो 100 रूपये प्रतिदिन दण्ड स्वरूप बिल राशि से काटे जावेंगें।

33. यदि उपकरण को सही करने हेतु अधिक समय लगने की सम्भावना हो तो समकक्ष या उच्चस्तर का वैकल्पिक उपकरण लगाना होगा, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा एवं अधिकतम 7 दिवस में मूल उपकरण ठीक कर आवश्यक रूप से पुनः इंस्टाल करना होगा। यदि सेवा प्रदाता द्वारा 7 दिवस पश्चात कार्य किया जाता है तो 7 दिवस पश्चात के दिनों की संख्या को 100/– रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड स्वरूप बिल राशि से वसूली की जावेगी।

34. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य रहेगी, इसके आगे की अवधि आवश्यकता होने पर नियमानुसार अनुबन्ध की अवधि अधिकतम 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

35. कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर 07 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

36. सन्तोषजनक कार्य सम्पादित करने पर तथा सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से संतोषजनक कार्य सम्पादित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा तथा अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटायी जायेगी।

37. कार्य सन्तोषजनक सम्पादित नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के तहत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी तथा उपापन समिति के निर्णयानुसार अतिरिक्त शास्ति लगायी जावेगी।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (...) जयपुर

13/12/23

38. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया अनियमित भुगतान वसूली निकाली जाती है तो वह उसके द्वारा भुगतान की जावेगी। भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार फर्म से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

39. अनुबन्ध– सफल निविदादाताओं को कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में नियमानुसार निर्धारित मुल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर के साथ एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। अनुबन्ध समय पर न होने की स्थिति में कार्य आदेश प्रभावी नहीं हो सकेगा तथा समय अवधि पूर्ण होने पर कार्य आदेश निरस्त मान लिया जावेगा। तथा बिड प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।

40. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का उपापन में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

41. राजस्थान लघु उद्योगों की दशा में बोली प्रतिभूति की राशि 0.5 प्रतिशत रहेगी।

42. निविदा सूचना में अंकित कम्प्यूटर/प्रिन्टर की संख्या की मात्रा में कमी/वृद्धि आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

43. निविदादाता फर्म का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के आपस में किसी तरह का विवाद होने पर पुलिस आयुक्त जयपुर द्वारा दिये गये फैसले को दोनों पक्ष मानने के लिये बाध्य होगें।

44. यदि बिड के निर्वचन (Interpretation) आशय या बिड की शर्तो के उल्लघंन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त पुलिस जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

45. आरटीपीपी अधिनियम 2012 नियम 2013 के सभी प्रावधान उक्त निविदा पर प्रभावी होगें।

46. निविदा में उक्त सभी शर्ते मान्य होगी।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मु.) जयपुर

13-12-23

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम
एवं फर्म की मोहर

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ठ ''द''(प्रथम)
निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मै/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ठ अ, ब एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूगां/करेगें और मै/हम उन्हे अक्षरक्षः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावें तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता–
टेलीफोन नं.

परिशिष्ठ ''द''(द्वितीय)
शपथ पत्र

मैं–

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी आपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग द्वारा पूर्व ब्लेक में लिस्टेड किया गया है।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मु.) * जयपुर *

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता–